उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 146/2023–24 दिनांक : 27.09.2023

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री ओमकार नाथ पुत्र श्री ब्रजमोहन लाल,
ग्राम बरेली नगर नं0 01, तहसील गदरपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2 विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री ओमकार नाथ पुत्र श्री ब्रजमोहन लाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 02.09.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU2C408101313 (03 किलोवाट घरेलू) पर लगे खराब विद्युत मीटर को हटाकर नया विद्युत मीटर दिनांक 05.03.2023 में स्थापित कर दिया गया है जिसकी वर्तमान रीडिंग 440 केडब्लूएच दर्ज है फिर भी विभाग द्वारा आरडीएफ के आधार पर बिल जारी किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने आरडीएफ विद्युत बिल (रू0 57115.00) को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 02.09.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 12.09.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 27.09.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 27.09.2023 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री नसीम अहमद, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता ने अपने पत्र संख्या–1771 दिनांक 26.09.2023 के

क्रमशः 2.....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का विद्युत मापक मार्च 2023 में बदला गया था। परिवादी के परिसर पर स्थापित नये विद्युत मापक की रीडिंग 440 के आधार पर उसका विद्युत बिल संशोधित कर रू0 7473.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित विद्युत बिल की गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र कुकरेती)
न्यायिक सदस्य

27/09/23
(नवीन चन्द्र तिवारी)
तकनीकी सदस्य

27/9/2023
(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य